

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 4/26 /2024 दिनांक : 07.12.2024

श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ00612), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर को दिनांक 06.11.2024 से 19.11.2024 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिन्दल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, अलवर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर के पद पर ही की गई।


आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/69/2008/ 10224 दिनांक 07.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 42415 दिनांक 22.11.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ00612), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, अलवर।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार